न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 301 / 18 निर्णय दिनांकः– 14–11–2019

1. लिच्छूदास पुत्र मांगीदास जाति साघ निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

2. राजस्थान सरकार जरिए पैरोकारराज

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आज्ञा दिनांक 08–01–1985
सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छतरगढ़ मु.बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 08–01–1985 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य कोआवंटित भूमि का आवंटन किया गया है के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि सन् अपीलांट द्वारा 1985 में पुख्ता आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जो जांच फोटो फार्म अपीलांट को भूमिहीन श्रेणी भूमि आवंटन पाने का पात्र धोषित किया जाकर दिनांक 08—01—1985 को पत्रावली आवंटन सलाहकार समीति के समक्ष प्रस्तुत होने पर बतौर भूमिहीन श्रेणी में 25 बीधा कमाण्ड भूमि पाने के लिए सक्षम धोषित किया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को तहसील कोलायत हाल तहसील पूगल के चक 22 बीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 207/12 के किला नम्बर 1 ता 15, 18 ता 21 कुज 19 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही अन्य व्यक्ति बचन सिंह पुत्र मिश्रीसिंह जाति राजपूत को आवंटित थी। इसलिए उक्त भूमि पूर्व में ही आक्यूपाईड़ लैण्ड थी। जो सहवन से अपीलांट को आवंटित कर दी गई। अपीलांट को उक्त भूमि पर कब्जा आज तक प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार पूर्व में आवंटित भूमि जो अपीलांट को आवंटित की गई वो आवंटन एनिशियो वॉयड़ होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार मजूदर पेशा व्यक्ति है व भूमि आवंटन करवाने की पात्रता रखता है। अतः अपीलांट को 25 बीधा भूमि की पात्रता के अनुसार आवंटन किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलांट को आवंटन दिनांक 08—01—1985 को हुआ जो पूर्व में वादगस्त व अन्य को आवंटन बावत जानकारी दिनांक 01—08—2018 से पूर्व नहीं रही। अपीलांट द्वारा दिनांक 01—08—2018 को तहसीलदार पूगल के यहां उक्त आवंटित भूमि का रेकार्ड में अंकन करने व कब्जा प्राप्त करने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया तब रीडर द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पूर्व में अन्य व्यक्ति को आवंटित भूमि है। इसलिए जानकारी से अपील अन्दर मियांद पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—01—1985 को पारित किया गया है जिसके विरुद्व अपीलांट ने अपील दिनांक 06—08—2018 को पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किन्तु अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि अपीलांट के आवंटन से पूर्व अन्य व्यक्ति को होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट अन्य व्यक्ति के पूर्व के आवंटन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य यथा बचन सिंह के आवंटन आदेश की प्रति हमारे समक्ष पेश नहीं की है। जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही उपरोक्त भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित थी। ऐसीस्थिति मे अपीलांट के कथन साबित नहीं होते है कि उसे डबल आवंटन की जानकारी अदालत मातहत के रीडर से प्राप्त हुई। इसके अलावा ना ही अपीलांट द्वारा 35 वर्ष विलम्ब से आवंटन का रेकार्ड में अंकन नहीं कराने का कोई सुसंगत कारण बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने अपने मियांद प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोषप्रद कारण मियांद कन्डोन करने के लिए अंकित नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अपील मियांद बाहर धोषित की जाती है। प्रकरण में अपीलांट गुणावगुण के आधार पर भी किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने व गुणावगुण पर खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु.बीकानेर का आदेश दिनांक 08—01—1985 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14—11—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जो मियांद बाहर है। अतः अपील मियांद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। अपीलांट को वर्ष 1985 मे आवंटन किया गया था किन्तु जब विवादित भूमि डबल आवंटन की श्रेणी में आती है तो अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में उसी समय दूसरे रकबे के आवंटन की कार्यवाही करनी चाहिए थी। जो नहीं की गई है। अपीलांट अब 35 वर्ष बाद अन्य रकबा आवंटन कराना चाहता है जो नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण पर भी खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अपीलांट को सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु.बीकानेर ने दिनांक 08–01–1985 को जरिये लाटरी चक 22 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 207/12 के किला नम्बर 1 ता 15, 18 ता 21 कुल 19 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन आदेश निर्धारित प्रपत्र में जारी करने के आदेश पारित किये। अपीलांट का कथन है कि उक्त भूमि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही अन्य व्यक्ति बचन सिंह पुत्र मिश्रीसिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज भूमि है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समयावधि में दूसरे आवंटन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। अपीलांट ने सहायक उपनिवेशन आयुक्त के आदेश दिनांक 08–01–1985 के विरुद्व दिनांक 06–08–2018 को अपील पेश की है। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें अंकित किया है "कि प्रार्थी को चक 22 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 207/12 की 19 बीघा आवंटित भूमि डबल आवंटन होने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08–01–2018 से पूर्व नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08–01–2018 को अदालत मातहत के यहां उक्त भूमि का कब्जा देने व रेकार्ड में अंकन कराने का निवेदन करने पर रीडर द्वारा रिपोर्ट करने पर यह जानकारी हुई कि उक्त भूमि बचन सिंह को पूर्व में आवंटन है तथा राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार है व उक्त भूमि डबल आवंटन है कब्जा नहीं मिल सकता।" अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकन किया है कि अदालत मातहत के रीडर द्वारा रिपोर्ट करने पर डबल आवंटन की जानकारी हुई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.03 17:19:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: